## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

**पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0**

**प्रकरण संख्या— 62/2014**

**बउनवान**

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला—बारां **( प्रार्थी )**

**बनाम**

कन्हैयालाल पुत्र मोड़ूलाल जाति मीणा निवासी मालबमोरी तह0 मांगरोल जिला बारां राज. **( अप्रार्थी)**

**रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :—1. पेरोकार सरकार **( प्रार्थी )**

2. श्री पिंकेश जगरवाल, अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

**आदेश दिनांक— 02.05.2022**

1— प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 1384 रकबा 026 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम मालबमोरी तहसील—मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014—2023 में खसरा नम्बर 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044—63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 1384 रकबा 0.26 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा—16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व [illegible] आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल [illegible] याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के [illegible] दिनांक 2.8.2004 [illegible] आवंटन/नियमन अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है [illegible] निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1384 की रकबा 0.26 है. को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.06.2001 को खातेदार रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति छीपा निवासी सीसवाली से खरीद की है तथा बाद खरीद से अप्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। 15 वर्ष पूर्व से उक्त आराजी अप्रार्थी के खाते दर्ज चली आ रही है। इसलिये उक्त रेफरेन्स कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

5— एकपक्षीय बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम मालबमोरी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थी के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 712/1227 रकबा 0.28 है. बने है तथा केचमेन्ट वर्ष 1999—2000, 2001—2002 में 0.02 है. की सामान्य कटौती की जाकर खसरा नंबर 1384 रकबा 0.26 है. कायम हुये हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, म[illegible] प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, [illegible] माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने पेरोकार सरकार की बहस [illegible] सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.

मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी के पिता को आवंटन/नियमन किया गया है।

7— उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट संवत 2044—63 नये खसरा नम्बर 712/1227 रकबा 0.28 है. बने है तथा केचमेन्ट वर्ष 1999—2000, 2001—2002 में खसरा नंबर 1384 रकबा 0.26 है. कायम हुये हैं। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम मालबमोरी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1384 रकबा 0.26 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)